

हिमाचल प्रदेश सरकार,  
पंचायती राज विभाग।

संख्या:पीसीएच-एचए (1)2/2019-61976-980 शिमला-171009

दिनांक 3.10.2020.

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2019-59104-107 दिनांक 14.09.2020 के अन्तर्गत, जिला किन्नौर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला किन्नौर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त, जिला किन्नौर की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला किन्नौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला किन्नौर के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा 3-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची-I

| क्र. सं.         | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के नाम जिनके विभाजन से नए ग्राम की घोषणा की जानी है। | कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम के कुल खसरा न0 | कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम के विभाजन पर इस घोषणा आदेश द्वारा रखे गए नाम | कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित नवघोषित ग्रामों में सम्मिलित होने वाले खसरा न0 |
|------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 1                | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6  |
| विकास खण्ड निचार |                          |  |  |  |  |
| 1                | यांगपा                   | 1 यांगपा   | 1 से 2048                                      | 1 यांगपा-2   | खसरा न0 869 ता 1226 व 1228 ता 2048                                       |

अनुसूची-II

| क्र. सं.         | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
|------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-------|
| 1                | 2                        | 3   | 4                                     | 5  | 6  | 7     |
| विकास खण्ड निचार |                          |   |                                       |  |  |       |
| 1                | यांगपा                   | 1 यांगपा  | यांगपा-2                              | यांगपा-2<br>(खसरा न0 869 ता 1226 व 1228 ता 2048)                             | 1 यांगपा-1<br>(खसरा न0 1 ता 867)                               |       |
|                  |                          | 2 हूरी  |                                       |  | 2. हूरी  |       |
|                  |                          |   |                                       |  |  |       |
|                  |                          |   |                                       |  |  |       |

आदेश द्वारा  
सचिव (पंचायती राज),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
दिनांक 3/10, 2020.

संख्या:पीसीएच-एचए(1)2/2019-61976-980 शिमला-171009

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. उपायुक्त किन्नौर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश, शिमला 02।
3. जिला पंचायत अधिकारी किन्नौर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को 2 प्रतियों सहित (वर्तमान तथा नवगठित ग्राम सभाओं में रिकार्ड हेतु)।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।